



राज्य स्वास्थ्य अभिकरण

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना



डाण्डा लखौण्ड, सहस्रधारा रोड, देहरादून -248001
ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक: अ0आ0उ0यो0/2019-20/1342

दिनांक : 05 दिसम्बर 2019

सेवा में,

1. स्टेट हेड, जन सेवा केन्द्र (CSCs), देहरादून।
2. स्टेट कार्डिनेटर, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA), देहरादून।
3. सभी आरोग्य मित्र, निजी एवं राजकीय सूचीबद्ध चिकित्सालय।

विषय: अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु परिवार आई0डी0 (Family ID) के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

1. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु पात्र परिवार एवं उनके सदस्यों की पहचान निम्न में से किसी एक डेटाबेस के आधार पर की जाती है:-
 - (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में निर्गत राशन कार्ड डाटाबेस (Data Base) - 23 लाख परिवार।
 - (ii) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) के अन्तर्गत बनाये गये कार्ड के परिवार एवं उनके सदस्यों का डेटाबेस (Data Base) - 12 लाख परिवार।
 - (iii) सामाजिक एवं आर्थिक जाति गणना (SECC), 2011 के अन्तर्गत परिवार एवं उनके सदस्यों का डाटा बेस (Data Base) - 5.37 लाख परिवार।
 - (iv) सामाजिक एवं आर्थिक जाति जनगणना "प्लस" (SECC Plus), के अन्तर्गत परिवार एवं उनके सदस्यों का डाटा बेस (Data Base) - 14.31 लाख परिवार।
2. यदि लाभार्थी का नाम उक्त (1) में उल्लेख किये गये (i) या (ii) या (iii) या (iv) में उल्लेख किये किसी डेटा बेस (Data base) में पाया जाता है तो गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु लाभार्थी को परिवार आई0डी0 (Family ID) उपलब्ध करानी होती है।
3. परिवार आई0डी0 (Family ID) में निम्न सम्मिलित है:-
 - (i) राशन कार्ड (नया अथवा पुराना)
या
 - (ii) परिवार रजिस्टर की नकल
या
 - (iii) परिवार को प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया पत्र
या
 - (iv) परिवार को मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया पत्र

4. यदि किसी लाभार्थी के पास उक्त (3) में उल्लेख की गयी कोई परिवार आई0डी0 (Family ID) उपलब्ध नहीं है तो लाभार्थी का गोल्डन कार्ड उसकी व्यक्तिगत आई0डी0 (Individual ID) के आधार पर निम्न शर्तें पूर्ण होने पर बनाया जायेगा:-
- लाभार्थी की व्यक्तिगत आई0डी0 (Individual ID) यथा
 - वोटर आई0डी0
 - आधार कार्ड।
 - जन्म प्रमाण-पत्र
 - स्थायी निवास-पत्र
 - पासपोर्ट
 - पैन कार्ड
 - ड्राइविंग लाइसेंस
 - अन्य कोई व्यक्तिगत आई0डी0 (Individual ID) जो सरकार द्वारा निर्गत हो।
 - उक्त (i) में उल्लेख की गयी व्यक्तिगत आई0डी0 (Individual ID) में लाभार्थी के पिता या माता या पति या पत्नी का नाम अंकित हो तथा लाभार्थी एवं उनके पिता/माता/पति/पत्नी का नाम उक्त पैरा (1) के किसी भी डेटा बेस (Data Base) में भी उपलब्ध हो तथा लाभार्थी एवं उनके पिता/माता/पति/पत्नी के जो नाम व्यक्तिगत आई0डी0 (Individual ID) में दिये गये हैं, वे किसी भी डेटा बेस (Data Base) में लाभार्थी एवं उनके माता/पिता/पति/पत्नी के नाम से मिलान (Match) करते हों।
5. उक्त (4) में उल्लेख की गयी लाभार्थी की व्यक्तिगत आई0डी0 (Individual ID) को परिवार आई0डी0 (Family ID) माना जायेगा तथा गोल्डन कार्ड बनाने हेतु उक्त (4) में उल्लेख की गयी व्यक्तिगत आई0डी0 (Individual ID) को परिवार आई0डी0 (Family ID) के रूप में अपलोड किया जायेगा।
6. अतः यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, प्रधानमंत्री का पत्र तथा मुख्यमंत्री का पत्र नहीं है तो उस लाभार्थी का गोल्डन कार्ड पैरा 4(i) में उल्लेख की गयी व्यक्तिगत (Individual ID) द्वारा पैरा 4 (ii) की शर्तें पूरा होने पर बना दिया जायेगा।
7. लाभार्थी की व्यक्तिगत (Individual ID) यदि आधार कार्ड नहीं है तो गोल्डन कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी द्वारा आधार कार्ड को अतिरिक्त रूप में अपने साथ लाना होगा।
8. उक्त निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की Beneficiary Identification Guidelines के पैरा 1.D (iii) के प्राविधान के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।


(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना
राज्य स्वास्थ्य अभिकरण

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. चिकित्सा अधीक्षक, समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
10. समस्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।
11. डा० पंकज कुमार सिंह, प्रभारी अधिकारी, आशा कार्यक्रम, एन०एच०एम०, देहरादून।
12. नोडल अधिकारी, आई०ई०सी० को जन-साधारण को अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।
13. आई०टी० सह डाटा प्रबन्धक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाइल।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

राज्य स्वास्थ्य अभिकरण